प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.10.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अवैध चाकू व सरिया के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11/12.10.2024 को रात्रि में चेकिंग के दौरान अभियुक्त अंकुर कुमार पुत्र ज्ञान सिंह निवासी पुलिस लाईन के सामने वाली गली चोहरपुर थाना कोतवाली जनपद अलीगढ हाल निवासी गली नं0 04 बीस फुटा रोड क्रिश्चयन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू व 01 सरिया बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं चोरी करने की फिराक में रात में घूम रहा था तथा मुझसे जो सरिया बरामद हुआ है उसे ताले तोडने के लिए अपने पास रखा हुआ था एवं मैंने अपने पास 01 चाकू रखा हुआ था जिससे पकड़े जाने पर लोगों को चाकू दिखाकर डराकर मौके से भाग सकूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

अंकुर कुमार पुत्र ज्ञान सिंह निवासी पुलिस लाईन के सामने वाली गली चोहरपुर थाना कोतवाली जनपद अलीगढ हाल निवासी गली नं0 04 बीस फुटा रोड क्रिश्चयन नगर बागू थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू
01 लोहे का सरिया

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध थाना फेस-3 व थाना सैक्टर- 63 गौतमबुद्धनगर में आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.10.2024 को वादी द्वारा थाना मुरादनगर पर तहरीर दी कि मेरी पुत्री उम्र 17 वर्ष को अभियुक्त पंकज पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम रेवडी रेवडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले

जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।
तत्पश्चात आज दिनांक 12.10.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम रेवडी रेवडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को ग्राम रेवडा रेवडी से गिरफ्तार किया गया। पीडिता का उक्त मुकदमे में मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी। धारा 180 BNSS के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 64BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त लड़की व मैं एक ही गांव के रहने वाले हैं। मेरी उक्त लड़की से पहले से ही बातचीत होती रहती थी और मैंने इस लडकी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

पंकज पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम रेवडी रेवडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 10.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त चाँद पुत्र शोमीन निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व इसके 03 साथियों द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चाँद पुत्र शोमीन निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्त चांद ने बताया कि मैं और बाल अपचारी आपस में दोस्त हैं। मेरी पीडिता से करीब डेढ साल से बातचीत थी तथा मैंने पीडिता के साथ शारीरिक सम्बध बनाये थे, उस समय मैंने उससे कहा था कि मै तुमसे शादी कर लूंगा। जब पीडिता मेरे से शादी करने के लिए बार बार कहने लगी तो मैंने उससे पीछा छुडाने के लिए उसका मोबाइल नम्बर ब्लॉक कर दिया था और मैंने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। पीडिता ने मेरे बाल अपचारी साथियों से कहा कि चांद से मेरी मुलाकात करा दो तो मेरे दोस्तों ने उसे पावी के एक ऑफिस में बुला लिया। मैं वहां मौजूद था तो मैं पीडिता को आफिस के अन्दर ले गया और उसके साथ शारीरिक सम्बध बनाये उसके बाद मैं बाहर आ गया और फिर मेरे बाल अपचारी दोस्तों ने भी पीडिता के साथ शारीरिक सम्बध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. चाँद पुत्र शोमीन निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।
2. 02 बाल अपचारी।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त तथा बाल अपचरियों के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 12 घण्टे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी नवाब पुत्र साबुद्दीन निवासी पुरानी पैठ दूधिया पीपल डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 11.10.2024 को वादी के भाई सादाब उम्र 32 वर्ष को धारदार हथियार से चोटिल कर हत्या कर देना तथा शव को छिपाने के आशय से तालाब के अन्दर फेंक देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट की मदद व मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना का 12 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त मौहम्मद साजिद पुत्र बाबू निवासी पुरानी पैंठ डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2017 में मृतक सादाब ने मेरे भान्जे शोएब पुत्र ताज मौहम्मद निवासी पुरानी पैंठ डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 06 वर्ष के गोली मार दी थी जिससे मेरे भान्जे की बायी आंख एवं बायें तरफ के आधे शरीर में लकवा मार गया था। मैं तभी से अपने भान्जे का बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। उस मुकदमे में सादाब जेल भी गया था तथा जेल से छूटने के बाद सादाब चेन्नई में जाकर मजदूरी कर रहा था जो कुछ दिन बाद ही वापस आया था। तभी से मैंने अपने भान्जे का बदला लेने की ठान ली थी। मैने सादाब की हत्या करने की योजना बनाई और उसको अपनी बातों में फंसाकर कुढियागढी वाले रास्ते

पर ले गया वहां पर तालाब के किनारे मैने उसको शराब पिलाई और सादाब से पूछा कि ये बता कि तूने मेरे भान्जे को गोली क्यूँ मारी तो सादाब मुझे मां बहन की गाली देने लगा और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके सिर में वहां पर पड़ी ईंट से कई बार वार किया। जिससे वह गिर गया। उससे बाद वहां पड़े डन्डे से कई बार मारा फिर मेरे पास मौजूद चाकू से उसके गले पर वार किये। जब मुझे विश्वास हो गया कि सादाब मर गया है तो मैने सादाब के शव को तालाब में धकेल दिया तथा सादाब का मोबाइल भी मैने तालाब में फेंक दिया और मैं वहां से चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मौहम्मद साजिद पुत्र बाबू निवासी पुरानी पैंठ डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त की निशादेही पर मृतक का एक मोबाइल , आला कत्ल 01 डंडा, ईंट तथा एक छुरी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 20 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई।

आज दिनांक 12.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 02 अभियुक्तों (1) नूर मौहम्मद पुत्र उमर मौहम्मद नि0 कांठ की पुलिया डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष (2) आस मौहम्मद पुत्र उमर मौहम्मद नि0 कांठ की पुलिया डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. नूर मौहम्मद पुत्र उमर मौहम्मद नि0 कांठ की पुलिया डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
2. आस मौहम्मद पुत्र उमर मौहम्मद नि0 कांठ की पुलिया डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त अब्दुल पुत्र समीम निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अब्दुल पुत्र समीम निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं तथा पीडिता का परिवार एक ही मौहल्ले में रहते हैं। दिनांक 10.10.2024 को पीडिता घर पर अकेली थी तो उसको अकेला पाकर मैं उसके घर चला गया और मौका पाकर मैंने उसके साथ दुष्कर्म किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अब्दुल पुत्र समीम निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वैगनार गाड़ी से अवैध आतिशबाजी पटाखे ले जाने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 डिब्बो में कोल्ड पियारो अवैध आतिशबाजी पटाखे व 01 वैगनार गाड़ी बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 11.10.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार वैगनार गाड़ी से अवैध आतिशबाजी पटाखे ले जाने वाला 01 शातिर अभियुक्त फिरोज उर्फ गडडू पुत्र मकीसू निवासी ग्राम असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष को दरोगा फार्म के पास से वैगनार गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 डिब्बो में कोल्ड पियारो अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मेरे से प्राप्त पटाखों को सस्ते दामों में असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीलामोड़ से खरीद कर उचित दामों में बेच देता हूँ। इस प्रकार जो रुपये प्राप्त होते है। उन्ही से अपना व अपने परिवार वालों का खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फिरोज उर्फ गडडू पुत्र मकीसू निवासी ग्राम असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- कब्जे से 10 डिब्बो में कोल्ड पियारो अवैध आतिशबाजी पटाखे व 01 वैगनार गाड़ी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।

- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दुकान के भीतर अवैध आतिशबाजी (निर्मित/अर्धनिर्मित) पटाखे की बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध आतिशबाजी (निर्मित/अर्धनिर्मित) पटाखों से भरे 07 प्लास्टिक के कट्टे व 15 गत्ते के बॉक्स बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 11.10.2024 को थान टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि भारत सिटी के सामने मार्केट में पीछे तरफ बनी पक्की दुकानों में अवैध आतिशबाजी पटाखों की बिक्री की जा रही है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दुकान के भीतर अवैध आतिशबाजी (निर्मित/अर्धनिर्मित) पटाखों की बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त समीर पुत्र हारुल निवासी असालतपुर फरुर्खनगर थाना टीलामोड़ उम्र 19 वर्ष को भारत सिटी के सामने मार्केट में पीछे तरफ की पक्की दुकान के भीतर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध आतिशबाजी (निर्मित/अर्धनिर्मित) पटाखों से भरे 07 प्लास्टिक के कट्टे व 15 गत्ते के बॉक्स बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र हारुल निवासी असालतपुर फारुर्खनगर द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मेरे से प्राप्त 07 प्लास्टिक के कट्टे व 15 गस्ते बॉक्स आतिशबाजी पटाखों से भरे हुए, उन्हे मैं झज्जर हरियाण से खरीदकर लाया हूँ। जिन्हे में उचित दामों में बेच देता हूँ और अधिक लाभ अर्जित करता हूँ। इस प्रकार अपना व अपने परिवारा वालों का खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

समीर पुत्र हारुल निवासी असालतपुर फरुर्खनगर थाना टीलामोड़ उम्र 19 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

- कब्जे से अवैध आतिशबाजी (निर्मित/अर्धनिर्मित) पटाखों से भरे 07 प्लास्टिक के कट्टे व 15 गत्ते के बॉक्स बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।